


12.04.23 पत्रावली पेश हुई। वकील शर्मा उपस्थित नहीं।

वकील शर्मा एवं शर्मागण को बार-बार आवाज लगाने पर भी उपस्थित नहीं हुए। अतः यह प्रार्थना पत्र अदम चेंबरी एवं अदम हाजिरी में इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद तरीक़ तक़मील होकर दाखिल दफ़्तर हो।

निर्णय लिखाया जाकर खुले-आपाल में सुनाया

गण्य।


(अमिता बिशनोई)
R.A.S.

उपखण्ड अधिकारी
पड़साना